झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (नीति) 16/2021– 744

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 17.11.2021

विषयः– **"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि ***"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड"*** योजना से सम्बन्धित आयोग निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता हैः–

1. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत् एक माह का अनाज दो या अधिक स्थानों से उठाव किया जा सकता है अथवा नहीं ?
2. अलग–अलग राज्य में PDS के अनाज का मूल्य अलग–अलग है। ऐसी स्थिति में झारखण्ड के कार्डधारी के दूसरे राज्य में TPDS अनाज का मूल्य क्या होगा ?
3. यदि कोई राशन कार्डधारी परिवार, जिसका कोई सदस्य दूर किसी शहर में रह रहे हो एवं परिवार के शेष लोग उस सदस्य के पास जाने वाले हो एवं इस कारण सभी का अनाज एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत् वहाँ उठा लिया जाए तथा अपरिहार्य कारण से परिवार का उस शहर में जाना टल जाए, तब कार्डधारी के पास अनाज प्राप्त करने का कोई विकल्प है अथवा नहीं ?

अतः उपरोक्त वांछित सूचनाएँ आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि आयोग द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से सम्बन्धित सुझाव विभाग को दिया जा सके।

विश्वासभाजन

17/11/21

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx61

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261